न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 2 / 2020

उनवान

शोभाग पुत्र हंगामा जाति जाट नि0 ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 31.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बूबानिया तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 3385 / 1766 रकबा 0.4850 हेक्टेयर है। प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। प्रार्थी अपने खातेदार खेत 3385 / 1766 रकबा 0.4850 में पर आने–जाने के लिये सिवायचक खसरा नम्बर 1747 / 0.45, 1745 / 0.25, 1744 / 0.40 व 1743 / 0.50 का उपयोग करता है। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पहुचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को सिवायचक खसरा नम्बर 1747 / 0.45, 1745 / 0.25, 1744 / 0.40 व 1743 / 0.50 में उत्तार से दक्षिण की तरफ 30 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्तमान में आवागमन हेतु सिवायचक आराजी का उपयोग किया जा रहा है। अन्य कोई रास्ता मौके व राजस्व अभिलेख में उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1747 / 0.45, 1745 / 0.25 व 1744 / 0.40 व में से रास्ता चाहा गया है। इन सिवायचक भूमि से 241.20 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौडा रास्ता वांछित है। खसरा नम्बर 1747 का 0.0697 है0, 1745 का 0.0772 है0 व खसरा नम्बर 1744 रकबा 0.0736 है0 कुल 0.2205 है0 भूमि रास्ते हेतु ली जानी है। चाहे गये मार्ग की डी0एल0सी0 दर से राशि 36410 / रूपये बनती है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपने खेतों पर आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। खसरा नम्बर 3385 / 1766 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:22:40 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। ग्राम बूबानिया के सिवायचक खसरा नम्बर 1747/0.45 में से 0.0697 है0, 1745/0.25 में से 0.0772है0 व 1744/0.40 में से 0.0736 है0 कुल 2205 वर्ग मीटर जिसकी चौडाई 9.14 मीटर व लम्बाई 241.20 मीटर है आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त आराजी की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 72820/ अक्षरे बहतर हजार आठ सौ बीस रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:22:40 IST
Reason: SelfAttested